



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1533]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2008/कार्तिक 9, 1930

No. 1533]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2008/KARTIKA 9, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2578(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|------------------------|
| "21 | राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किशनगढ़ से अजमेर (366 किलोमीटर से 396 किलोमीटर को छोड़कर) और अजमेर से उदयपुर (0 किलोमीटर से 263.500 किलोमीटर को छोड़कर)], सं. 11 [42.525 किलोमीटर से 228.000 किलोमीटर को छोड़कर (उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा-भरतपुर-महुआ-जयपुर)], सं. 11क, सं. 11ख, सं. 11ग, सं. 12, सं. 14 [246.800 किलोमीटर से 306.000 किलोमीटर को छोड़कर (पिंडवाड़ा-राजस्थान/गुजरात सीमा सेक्शन)], सं. 15, सं. 65, सं. 71ख, सं. 79 (सेक्शन नजीराबाद से चित्तौड़गढ़ को छोड़कर), सं. 89, सं. 90, सं. 112, सं. 113, सं. 114 और सं. 116 राजस्थान राज्य के भीतर स्थित भाग। | राजस्थान राज्य सरकार।" |

[फा. सं. एनएच-14012/11/2004-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का.आ. 1873(अ), तारीख 29 जुलाई, 2008 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2008

S.O. 2578(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---------------------------------|
| "21 | So much of National Highways No. 8 [Kishangarh to Ajmer (excluding from Km 366 to Km 396) and Ajmer to Udaipur (excluding from Km 0 to Km 263.500)], No. 11 [excluding from Km 42.525 to Km 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur)], No. 11A, No. 11B, No. 11C, No. 12, No. 14 (excluding from Km 246.800 to Km 306.000 (Pindwara - Rajasthan/ | State Government of Rajasthan." |

(2)

Gujarat Border section No. 15, No. 65, No. 71B, No. 79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh), No. 89, No. 90, No. 112, No. 113, No. 114 and No. 116 as are situated within the State of Rajasthan.

Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1873(E), dated 29th July, 2008.

[F. No.NH-14012/11/2004-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.